APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,बालोतरा बमुकाम बालोतरा

ओमाराम बनाम अचलाराम व अन्य

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का. अधि. 1955 नं. 05 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-01-23	अपीलान्ट के वकील श्री अचलाराम थोरी उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित आदेश संख्या 01 दिनांक 08.10.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट की अपील मियाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हों। उतरदातागण जरिये नोटिस तलब हों एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी उतरदाता, अपीलाधीन अभिलेख आईंदा दिनांक 15-2-23 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	
15.02.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वयं एवं अपीलांट के अधिवक्ता उप० रेस्पो. सं. 1 से 20 अचलाराम वगैरा मय अधिवक्ता उप० समस्त पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा भूमि खसरा सं. 490, 548, 472 मौजा गंगाणियों की दाणीपटवार क्षेत्र कालेवा अत: अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का. अ. विरुद्ध आदेश क्रमांक-राजस्व/2021/01 दिनांक 08.10.2021 उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा विभाजन आदेश निरस्त वार प्रकरण उप-तहसीलदार पाटोदी को पुन: प्रतिप्रेषित अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	Identified by me अचलाराम ओमाराम गुमाना गवरी हजारा राम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है कि माफिक कब्जा काश्त रहवासीय मकान व आवागमन के बिंदु को ध्यान में रखकर नये सिरे से आदेश करें। निर्णय आज तारीख 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	देवाराम पनाराम भरत भंवरलाल नागाराम हुकमाराम भीखाराम मोहनलाल दुर्गाराम